



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3578]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2017/पौष 7, 1939

No. 3578]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2017/PAUSHA 7, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2017

का.आ. 4095(अ).—केन्द्रीय सरकार, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के नियम 3 और 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की दिनांक 03 दिसम्बर 2015 की का.आ. सं. 3270(अ) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 25 एवं 26 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

25. श्री अब्राहम जॉन थराकन,
शिभूमि
X1814/, एल्फिस्टन रोड,
फोर्ट, कोचिन - 682001
केरल राज्य

सदस्य

26. श्री तारा रंजन पटनायक,
2132/5058, तनकापानी रोड,
भुवनेश्वर – 751014

सदस्य

[फा. सं. 1/9/2009-ईपी (एमपी)-खण्ड-II]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : प्रमुख अधिसूचना दिनांक 3 दिसम्बर 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात दिनांक 18 जनवरी 2016 को सा. का. नि. संख्या 79(अ), दिनांक 24 जून, 2016 के का.आ. 2297(अ), एवं दिनांक 10 मार्च, 2017 के का. आ. 826(अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2017

S.O. 4095(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (3) of Section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, number S.O. 3270(E), dated the 3rd December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:—

In the said notification, for serial numbers 25 and 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

“25. Shri Abraham John Tharakan,
Shibumi,
XI/814, Elphinston Road,
Fort Cochin – 682001,
Kerala State

Member

26. Shri Tara Ranjan Patnaik,
2132/5058, Tankapani Road,
Bhubaneswar - 751014.

Member”

[F. No. 1/9/2009 - EP (MP)-Vol. II]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 03.12.2015 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 79(E), dated the 18th January, 2016, S.O. 2297(E), dated the 24th June, 2016 and S.O. 826(E) dated the 10th March, 2017.